मानसिक बीमारियों का अंधविश्वास

125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में केवल 4 हजार मानसिक चिकित्सक हैं। वो भी बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित हैं जबकि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। वहां पर दूर-दूर तक कोई मानसिक चिकित्सक नहीं होता है। नतीजतन मरीज झाड़फूंक करने वाले बाबा का चक्कर लगाते रहते हैं और मर्ज गंभीर रूप धारण कर लेता है।

■ डॉ. अशोक जैनर, लंदन से

हमारे देश में मानसिक बीमारियों व मानसिक रोगियों की उपेक्षा होती चली आ रही है। मानसिक रोगियों को तरह-तरह की यातनाएं व परेशानियां झेलनी पड़ती है। मानसिक रोगी होना एक प्रकार का अभिशाप है जिसके प्रति परिवार व समाज में उपेक्षा भाव रहता है। इसका एक मुख्य कारण मानसिक बीमारियों के बारे में फैला तरह-तरह का अन्धविश्वास है। मानसिक बीमारियों को कहीं पर दैवीय प्रकोप समझा जाता है तो कहीं पर तंत्र विद्या का प्रभाव। इस प्रकार का अंधविशवास मरीज को जगह जगह भटकने क लिए मजबूर कर देता है। मरीज कभी ज्योतिषी के पास जाता है तो कभी तांत्रिक के पास जाता है। मरीज की बीमारी ठीक होने की जगह और बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसे में ज्योतिष की झाड़-फूंक की दुकानें चलती रहती है। इनकी दुकानें तभी तक चलती रहगी जब तक की अंधविश्वास फैला रहेगा। अंधविश्वास का मुख्य कारण अज्ञानता तथा शिक्षा का अभाव है। आज दुनिया के सभी प्रगतिशील देशों में मानसिक बीमारियों को भी शारीरिक बीमारियों की तरह एक प्रकार की बीमारी समझ इलाज किया जाता है। मरीजों के अनुपात के अनुसार अस्पताल, डॉक्टर व नर्सों की संख्या निर्धारित की जाती है। लेकिन हमारे देश में इस प्रकार के मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं।

आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि 1950 से पहले मानसिक रोगियों के लिए कोई भी दवा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार की बीमारियों को आपदा समझा जाता था। मरीज को समाज से दूर एक प्रकार के 'मेन्टल अस्पतालों' में हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के अस्पताल जेल के समान होते थे। जहां पर मरीज को यातनाएं भी सहनी पड़ती थी, मरीज को बेड़ियों व जंजीरों में बांधकर रखा जाता था। मरीज एक बार यहां आने के बाद समाज से कट जाता था। अधिकतर मरीजों का जीवन यहीं पर समाप्त हो जाता था। लेकिन 1950 के बाद इसका सटीक इलाज ढूंढ लिया गया। 1950 में एक डाक्टर ने उल्टी के लिए विकसित की गयी दवा अत्यधिक विचलित मरीज को दी । मरीज उसके बाद ना केवल शांत हो गया बल्कि उसका व्यवहार भी ठीक हो गया। मरीज के व्यवहार में परिवर्तन देखा गया। यह दवा (क्लोरप्रोमेजीन) और दूसरे मरीजों में प्रयोग की गयी। सभी मरीजों में फायदा आने लगा। यह दवा मानसिक रोगियों के लिए चमत्कार से कम नहीं थी। इस दवा का तुरन्त दुनिया भर में प्रयोग होने लगा। मरीजों को इतना अधिक फायदा होने लगा कि मरीज मैंटल अस्पतालों से घर वापस जाने लगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह दवा अत्यधिक उत्तेजित मरीजों के ब्रेन में डोपामीन नामक केमिकल को कम करती थी। जिससे मरीजों को फायदा होता था। वैज्ञानिकों ने पाया की "साइजोफ्रेनीया" नामक बीमारी में डोपामीन बढ़ा रहता था। ब्रेन में डोपामीन बढ़ा होने के कारण मरीज के व्यवहार में अत्यधिक उत्तेजना, मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता था। जैसे ही इस रहस्य का पता चला। दुनिया भर से इस ओर बहुत तेजी से विकास शुरू हुआ। इस तरह मानसिक रोगियों के जीवन में एक नये अध्याय, एक नये युग की शुरुआत हुई। क्लोरप्रोमेजीन के साथ-साथ नई दवाइयां भी विकसित होने लगी। इन दवाओं के कारण आज दुनिया भर में मैंटल अस्पताल बन्द हो चुके हैं। मानसिक रोगी भी शारीरिक रोगियों की तरह आज अपने परिवार के साथ रहते हैं अपने परिवार के तथा समाज के बीच सामान्य रूप से जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। जैसे-जैसे नई नई दवाएं विकसित होती गई वैसे-वैसे दुनिया भर में मानसिक रोगियों के प्रति नकारात्मक दृष्टीकोण बदलता गया। समाज से अन्धविश्वास दूर होता चला गया। मानसिक बीमारियों के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काफी रुचि दिखाई। दुनिया भर में मानसिक रोगियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए। 200 से अधिक देशों ने 'वर्ल्ड साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन' के रूप में एक साथ मिलकर कार्य किया लेकिन हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग मानसिक बीमारियों के प्रति अपने बजट में काफी कंजूस है। इस कारण मानसिक चिकित्सक, नर्सें तथा साइकोलॉजिस्ट देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं। विदेशों में उन्हें अच्छा वेतन तथा सम्मान मिलता है। सरकार को चाहिए कि वो मरीजों के अनुपात के अनुसार मानसिक चिकित्सक की संख्या बढ़ाए, साइकोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ाये तथा मानसिक रोगों के बारे में जनता को जागरूक करे। सरकार को मानसिक रोगों के बारे में अखबार-टीवी तथा वेबसाइट के माध्यम से प्रचार करे जिससे आम जनता के बीच सही जानकारी पहुंचे। 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में केवल 4 हजार मानसिक चिकित्सक हैं। ये भी बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित है। जबकि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। वहां पर दूर-दूर तक कोई मानसिक चिकित्सक नहीं होता। गांव व देहात में इस प्रकार के मरीज झाड़फूंक करने वाले बाबा का चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ मरीज तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' मानता है कि बिना मानसिक स्वास्थ्य के शारीरिक स्वास्थ्य भी नहीं हो सकता। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। देश में मानसिक बीमारियों से लड़ने के लिए तुरन्त प्रभावशाली कदम उठाने होंगे। इसके लिए मूलभूत सुविधाएं बढ़ानी होगी। ■■